

24/5/22

Note Press  
Bunk

पत्रावली पेश। शर्मा श्रीधरवन्ता डयन।  
 शर्मा श्रीधरवन्ता श्री लखवती उमाद बालोद  
 द्वारा शर्मा पत्र पर (212 RT Act) को नोट  
 पेश जाहिर को निवेदन किया, कि उम्ह  
 उम्हण न्यायालय में नही चलाना चाहिए  
 है। अतः शर्मा पत्र पर नोट पेश खारिज  
 कराने। पत्रावली को अवलोकन किया, गया,  
 उना गया। श्रीधरवन्ता स्वयं अपना  
 उम्हण चलाना नही चाहे है। अतः,  
 शर्मा पत्र (40,88,188 ₹ 212 RT Act)  
 पर नोट पेश इती स्तर पर खारिज किया  
 जाय है। पत्रावली के लिये शुद्धाद होकर  
 नम्बर ले काग होकर दारिखल दफ्तल हो

*(Signature)*

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

कलकत्ता न्यायालय, सांचौर, पश्चिम बंगाल  
 दिनांक 24/5/22